



INDIA NON JUDICIAL



Government of Uttar Pradesh

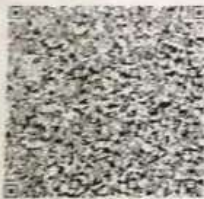
IN-UP69178307796641W

I-3717/24

e-Stamp



Certificate No. : IN-UP69178307796641W
Certificate Issued Date : 19-Feb-2024 10:09 AM
Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14716904/ MAWANA/ UP-MRT
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1471690434572191834676W
Purchased by : VIDYA COLLEGE OF LAW
Description of Document : Article 35 Lease
Property Description : PROPERTY AT KHASRA NO-437MI SITUATED AT VILL-MEGHRAJPUR
TEHSIL-MAWANA DISTT-MEERUT
Consideration Price (Rs.) :
First Party : ARYANS GRAMOTTHAN CHARITABLE TRUST
Second Party : VIDYA COLLEGE OF LAW
Stamp Duty Paid By : VIDYA COLLEGE OF LAW
Stamp Duty Amount(Rs.) : 1,200
(One Thousand Two Hundred only)



E-STAMP VERIFIED
E-STAMP LOCKED

Please write or type below this line

ओम् लीज डीड / किरायानामा

स्टाम्प अंकन 1,200/-रुपये जो ई-स्टाम्प नं०-IN-UP69178307796641W द्वारा
अदा किया गया है।



RD 002581356



Kamboj
Advocate
Reg. No. 9092/2018
Mera (Phone) M. 9657361538



Kamboj
Advocate
Reg. No. 9092/2018
Mera (Phone) M. 9657361538



-2-

हम कि श्री आर्यन्स ग्रामोत्थान चेरिटेबल ट्रस्ट पंजीकृत कार्यालय 282/3, अजन्ता कालोनी, गड रोड मेरठ तहसील व जिला मेरठ पैन कार्ड नं०- AAFFPA1394L द्वारा अध्यक्ष रोहित कुमार शर्मा पुत्र राम अवतार शर्मा निवासी 282/3, अजन्ता कालोनी, गड रोड मेरठ तहसील व जिला मेरठ आधार कार्ड नं०- XXXX XXXX 8126 नौ० नं० 9657361538।

_____प्रथम पक्ष/पट्टादाता

बहक

विद्या कालिज ऑफ लॉ ग्राम मेघराजपुर परगना किठौर तहसील मवाना जिला मेरठ द्वारा श्रीमति उपासना शर्मा धर्मपत्नी श्री रोहित कुमार शर्मा निवासी 282/3, अजन्ता कालोनी, गड रोड मेरठ तहसील व जिला मेरठ पैन कार्ड नं०- HIOPS 4528A आधार कार्ड नं०- XXXX XXXX 7759 नौ० नं० 9657361538।

_____द्वितीय पक्ष/लीज ग्रहिता

Kohli



Pam



[illegible]

८. यह कि लीज विभाजक २००२-२००३ ई० से प्रारम्भ हो गया है। लीज कीमत का प्रत्येक वर्ष वर्ष की एक विभाजक से शुरू होकर अगले वर्ष समान मात्रा की अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष पुनः शुरू करेगा। लीज साल भर ३६० वर्ष तक चलती रहेगी।

3—यह कि उक्त सम्पत्ति का कितना योग्य रकम में अंकन 5,12,51/- करने उचित वर्ष तब माना है। जिसे द्वितीयवर्ष प्रति वर्ष प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक व तिथिपर रहे। तथा उक्त लीज की अवधि 15/02/2024 से 14/02/2025 तक रहने, तथा प्रतिवर्ष साल विसावर भाद के अन्तिम सप्ताह तक द्वितीयवर्ष हर सप्ताह में लीज रेट अदा कर दिया करेगा।

3-यह कि द्वितीयपक्ष उक्त सम्पत्ति पर बजरिये पटटेदार (लीज ग्रहिता) अपना कब्जा दिनांक 15.02.2024 को ही कर लिया है। तथा द्वितीयपक्ष को उक्त कॉलिज बिल्डिंग कैम्पस पर अपनी आवश्यकतानुसार निर्माण करने व अपनी आवश्यकतानुसार व इच्छानुसार उक्त सम्पत्ति का इस्तेमाल करने व सस्था के लिए कार्य करने व शिक्षण कार्य करने, उसमें कोई भी कोर्स कराने या अन्य शिक्षण कार्य करने, सम्पत्ति में स्कूल, कॉलिज चलाने आदि के समस्त अधिकार प्राप्त रहेंगे। तथा द्वितीयपक्ष ने उक्त अहाते में कॉलिज को चलाने हेतू उक्त सम्पत्ति को किराये पर लिया है।

4-यह कि लीज दिनांक 15.02.2024 से 30 वर्ष माह तक रहेगी उक्त अवधि में लीज का रेंट नही बढ़ाया जायेगा।

5-यह कि उक्त सम्पत्ति पर बिजली व पानी आदि अन्य देय जो द्वितीयपक्ष की लीज के कारण व द्वितीयपक्ष द्वारा उक्त सम्पत्ति का प्रयोग करने के कारण होंगे। उन्हें द्वितीयपक्ष ही अदा किया करेंगे। तथा द्वितीयपक्ष को अधिकार होगा कि वह शिक्षण कार्य व स्कूल व कॉलिज आदि के सम्बन्ध में कोई भी नवनिर्माण कराये, कनेक्शन नल व बिजली का ले, व टैक्स अदा करे प्रथमपक्ष को कोई आपत्ति नही होगी।

6-यह कि द्वितीय पक्ष उक्त सम्पत्ति को अपने प्रयोग में शिक्षण कार्य के लिये ही लायेंगे अन्य कोई कार्य नही करेंगे तथा किसी अन्य को शिकमी किरायेदार नही रखेंगे।

Koh2

pylana

आवेदन सं०: 202400733004044

पट्टा अनुबंध विलेख

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 3717

वर्ष: 2024

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 1200 बाजारी मूल्य- 0 पंजीकरण शुल्क - 300 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 360

श्रीमती विद्या कॉलेज ऑफ लॉ द्वारा
उपासना शर्मा अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पत्नी श्री रोहित कुमार शर्मा
व्यवसाय : अन्य
निवासी: नि० 282/3 अजन्ता कालौनी गढ़ रोड मेरठ तहसील व जिला मेरठ।

upa sra



श्रीमती, विद्या कॉलेज ऑफ लॉ द्वारा

उपासना शर्मा अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 19/02/2024 एवं
10:35:09 AM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

[Signature]

शरद श्रीवास्तव प्रभारी
उप निबंधक : मयाना
मेरठ
19/02/2024

शरद श्रीवास्तव
निबंधक लिपिक
19/02/2024

प्रिंट करे

7-यह कि लीज कि अवधि पूरी होने पर द्वितीयपक्ष उक्त सम्पत्ति पर अपने द्वारा किये गये निर्माण को उठा लेंगे। जिसमें प्रथमपक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी। तथा 30 वर्ष की अवधि पूरी होने पर अर्थात् दिनांक 14.02.2054 को किरायानामा स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।

8-यह कि लीज कि अवधि में अन्तर्गत धारा 108 बी ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट के अनुसार द्वितीयपक्ष किरायेदार को अधिकार होगा कि वह किसी भी बैंक या संस्था को भूमि के लीज राईट व निर्माण के स्वामित्व राईट्स को मॉरगेज करे। इसके लिए प्रथमपक्ष की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

9-यह कि लीज अवधि के अन्दर प्रथमपक्ष को जब तक बैंक या वित्तीय संस्था का ऋण अदा नहीं हो जायेगा। लीज समाप्त करने का अधिकारी नहीं होगा, अर्थात् लीज अवधि के अन्दर प्रथमपक्ष किसी भी सूस्त में लीज समाप्त नहीं करेंगे।

10- यह कि द्वितीयपक्ष उक्त सम्पत्ति में शिक्षा से सम्बन्धित समस्त कार्य हेतु जैसे कि कॉलेज चलाने की स्वीकृति सम्बन्धित समस्त विभाग से लेने की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभाएंगे तथा हर प्रकार की कार्यवाही कराने का अधिकार द्वितीयपक्ष को प्राप्त रहेगा। जिसमें प्रथमपक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।







वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 3717

वर्ष: 2024

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त पट्टा दाता: 1

श्री आर्पेन्स ग्रामोत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा रोहित कुमार शर्मा, पुत्र श्री राम अवतार शर्मा

निवासी: नि० 282/3 अजन्ता कालोनी गढ़ रोड मेरठ तहसील व जिला मेरठ।

व्यवसाय: अन्य

पट्टा गृहीता: 1



श्रीमती विद्या कॉलेज ऑफ लॉ के द्वारा उपासना शर्मा, पत्नी श्री रोहित कुमार शर्मा

निवासी: नि० 282/3 अजन्ता कालोनी गढ़ रोड मेरठ तहसील व जिला मेरठ।

व्यवसाय: अन्य



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1

श्री सोरभ कुमार काम्बोज, पुत्र श्री प्रदीप कुमार

निवासी: नि० 18 पंचवटी कालोनी मवाना तहसील मवाना जिला मेरठ।

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2



श्री पंकज वर्मा, पुत्र श्री स्व० सीताराम वर्मा

निवासी: नि० मौ० काबली गेट मवाना तहसील मवाना जिला मेरठ।

व्यवसाय: अन्य



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शरद श्रीवास्तव प्रभारी
उप निबंधक : मवाना
मेरठ

19/02/2024

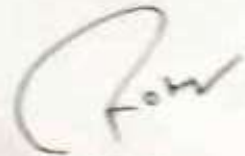
ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिपि गए है।
टिप्पणी:

शरद श्रीवास्तव
निबंधक लिपिक मेरठ
19/02/2024

11- यह कि उपरोक्त धाराओं का दोनों पक्ष पूर्ण रूप से पालन करेंगे। अतः यह किरायेदानामा लिखा दिया है कि प्रमाणित तथा उपयोगी हो और समय पर काम आवें। इति ॥

सीमावे उक्त सम्पत्ति

पूरब :-	सड़क ॥
पश्चिम :-	सम्पत्ति प्रथमपक्ष ॥
उत्तर :-	सम्पत्ति अन्य ॥
दक्षिण :-	सम्पत्ति प्रथमपक्ष ॥



1- गवाह- सौरभ कुमार काम्बोज पुत्र प्रदीप कुमार निवासी 18 पंचवटी कालौनी मवाना तहसील मवाना जिला मेरठ।

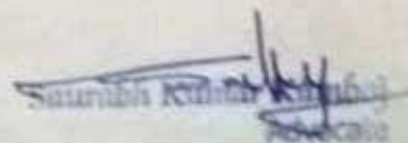
मौ० नं०-7060504011

2- गवाह- पंकज वर्मा पुत्र स्व० सीताराम वर्मा निवासी मौ० काबली गेट मवाना तहसील मवाना जिला मेरठ।

मौ० नं०-9997968476

तहरीर तारीख- 19-02-2024

मस० -सौरभ कुमार काम्बोज एड० तह० मवाना।



Reg. No. 9092/2018
Hawara (Meerut) M. 7060504011

आवेदन सं०: 202400733004044

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 10258 के पृष्ठ 141 से 152 तक क्रमांक
3717 पर दिनांक 19/02/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


शरद श्रीवास्तव प्रभारी
उप निबंधक : मवाना
मेरठ
19/02/2024

प्रिंट करे